राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस)

प्रकरण सख्या :–102 / 2024
जीसीएमएस नं.–2024 / 243

दायर दिनांक :–25.09.2024
निर्णय दिनांक :–18.02.2026

1. श्री देवीलाल पिता कुबेर पटेल, निवासी–ओडा तहसील–बिछीवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेश पिता कोदर पटेल, ओडा तहसील–बिछीवाडा
2. श्री नाथु पिता लवजी पटेल निवासी–ओडा तहसील–बिछीवाडा
3. श्री सरकार तहसीलदार, तहसील–बिछीवाडा

विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. श्री उमेश कुमार नायक, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री कृष्णराज सिंह, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी गाँव ओड़ा तह. बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर राज. के स्थाई निवासी होकर कृषक है प्रार्थी के कब्जे काश्त व खाते की भुमि गाँव ओड़ा मे स्थित है जिसका खाता सं. 1033–1034 है, उक्त भुमि के पास खसरा सं. 1004 है। उक्त भुमि से सटी भुमि खसरा नं. 1097 में 0.1600 व 0.0800 हैक्टर भुमि को प्रशासन गाँवो के संग अभियान दिनांक 19.12. 2021 के कैप ओड़ा मे विपक्षी सं. 01 व 02 को जरिए मिसल / पंत्राक 223 फैसल दिनांक 19.12.2021 को भुमि आवंटन करना बताई जा रही है। तथाकथित आवंटन के बाद विपक्षीगणो के नाम वर्तमान मे गैर खातेदारी के रूप मे नामातंरण खोला जाकर नया नं. 1097 विपक्षीगणो को आवंटन किया गया है। उक्त विपक्षीगणो नाम पर आवंटित भुमि पर प्रार्थी के पिता व दादा तथा परदादा के जीवनकाल से विगत 60–70 साल से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा प्रार्थी ने उक्त कब्जे काश्त की भुमि की सीमा पर हरे – भरे पेड़ लगा रखे है। जो वर्तमान मे मौके पर स्थित है। इसी भुमि मे ग्रा. पं. ओड़ा द्वारा सी.सी. सड़क बना रखी है। प्रार्थी के दादा परदादा के भुमि पर काबिज होने की पुष्टि मे प्रार्थी के परदादा के नाम की जारी पेनेल्टी रसीदे दिनांक 15 / 06 / 1956 और 15 / 06 / 1957 तथा 14 / 06 / 1958 की सलंग्न है। और पटवारी हल्का ओड़ा ने भी प्रार्थी का उक्त आवंटन भुमि पर कब्जा होने की पुष्टि मे दिनांक 25.12. 2021 को बुक नं. 0072530 की रसीद नं. 0000005 से अस्सी रू. लगानी प्राप्त कर रसीद दी गई है। विपक्षीगणो के पास अपने खाते के दो हिस्से मिलाकर करीब 12 बीघा भूमि पटवार हल्का ओड़ा के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। और प्रावधान अनुसार आवंटी भुमिहीन नही है। विपक्षी ने बिना कब्जे साक्ष्य की भुमि हथियाने को लेकर कपटपुर्वक स्वंय को काश्तकार बताते हुए धोखे से प्रार्थी के कब्जे काश्त की भुमि का शिविर मे आवंटन अपने नाम करा लिया है। वक्त आवंटन कमेटी मे तहसीलदार भुमिधारी अनुउपस्थित थे तथा उपस्थित मेंबर आवंटित कमैटी मे थे। इस प्रकार आवश्यक अधिकारी नही होने से कोरम पुर्ण नही माना सकता है। विपक्षी सं. 02 वर्ष 2019 से विदेश कुवैत मे है वह गंभीर अपराध मे विदेशी न्यायालय मे दोषी करार पाया जाने से वर्ष 2032 तक की सजा सुनाई गई विपक्षी सं. 01 ने विपक्षी सं. 02 के नाम भूमि आवंटन फार्म पर फर्जी हस्ताक्षर कर भुमि आवंटन फार्म शिविर मे प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवंटन कमैटी मे आवंटी का रिश्तेदार या मिलनसारी व्यक्ति सदस्य नही हो सकता है। लेकिन इस आवंटन की कमैटी मे सरपंच और पटवारी विपक्षीगण के मिलनसारी रहे है। विपक्षी ने मौके पर आकर विवाद करने के साथ प्रार्थी को बताया की यह भुमि हमारे नाम से आवंटित हो गई है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकले व आवंटन की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.08.2024 को प्राप्त करने पर प्रार्थी को विपक्षीगणो के नाम उक्त फर्जी आवंटन होने की जानकारी हुई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणो को मौजा ओड़ा के खसरा नं. 1097 किस्म बिलानाम भुमि मे रकबा 0.1600 व 0.0800 हैक्टर भुमि का गलत आवंटन कर दिया है जिसे निरस्त किया जाने निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जवाब देही तलब किया गया। अधिवक्ता
विपक्षीगण कि ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि गांव ओडा के
खाता संख्या 1033–1034 मे स्थित होना अस्वीकार है बल्कि खाता संख्या 1033 मरियम पत्नि सवा
तथा सवा पुत्र विरजी भील निवासियान–ओडा बडा की गैर खातेदारी कृषि भूमि है जो राजस्व
रिकोर्ड/जमाबन्दी मे दर्ज है तथा खाता संख्या 1034 विपक्षीगण गणेश तथा नाथु की गैर खातेदारी
कृषि भूमि है। खाता संख्या 1034 मे कुल किता 2 कुल रकबा 0.2700 हेक्टेयर भूमि विपक्षीगण के नाम
गैर खातेदारी दर्ज है जिस पर विपक्षीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। खाता संख्या 1033 व 1034
के पास खसरा संख्या 1004 होना बताया है जो अस्वीकार है। खसरा संख्या 1004 उक्त खाता संख्या
1033 एवं 1034 से बहुत दूर मेहणा मोड पर बिछीवाडा से डूंगरपुर जाने वाली मुख्य सडक के पास
स्थित है। उक्त भूमि से सटी भूमि खसरा संख्या 1097 में 0.1600 व 0.0800 हेक्टेयर भूमि को प्रशासन
गांवो के संग अभियान दिनांक 19.12.2021 के कैंप ओडा में विपक्षी संख्या 1 व 2 को जरिये
मिसल/पत्रांक 223 फैसल दिनांक 19.12.2021 को भूमि आवंटन का कथन अंकित है, इसके संबंध मे
जवाब है कि, प्रार्थी द्वारा वर्णित मनगढंत कथनो से साबित होता है कि प्रार्थी को आवंटित भूमि के
संबंध में तथा उसकी स्वयं की भूमि के संबंध में कोई जानकारी ही नही है विपक्षीगण का मौजा ओडा
बडा के वर्तमान खसरा संख्या 1096 की 0.0800 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 1097 का 0.1600 हेक्टेयर
कृषि भूमि पर वर्षो पूराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। विपक्षीगण को तहसीलदार द्वारा कई वर्षो तक
तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटीस भी दिये गये थे तथा विपक्षीगण
द्वारा पेनल्टी भी जमा कराई जाती रही है। विपक्षीगण को जरिये मिसल नम्बर 1026 दिनांक 01.112021
को केम्प ओडा बडा मे विपक्षी संख्या 1 को खसरा संख्या 1096 की 0.0800 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या
1097 की 0.1600 हेक्टेयर कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार आवंटित की गयी।
आवंटन के पश्चात उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। पूर्णतः मिथ्या होने से अस्वीकार
है। उक्त भूमि पर पेड भी लगे हुये नहीं है। आवंटित भूमि में सी.सी. सडक बनी हुयी नहीं है बल्कि शेष
बिलानाम भूमि पर है। आवंटित भूमि को विपक्षीगण ने जे.सी.बी. से समतल कर उपजाऊ बनाया है तथा
कुछ भाग अभी भी पहाडी है। उक्त आवंटित भूमि पर वर्षा ऋतु की खेती बाजरा, उड़द विपक्षीगण करते
है। प्रार्थी का मकान भी आवंटित भूमि पर बना हुआ नही है बल्कि खसरा नम्बर 1102 में बना हुआ है।
प्रार्थीगण ने कभी थूअर की बाड नही लगाई है। पेनल्टी एवं कब्जे की रसीद होने का कथन मिथ्या
होकर अस्वीकार है। विपक्षीगण के पास अपने खाते की भूमि स्थित अवश्य है लेकिन खाते की भूमि से
सटकर ही आवंटित भूमि स्थित होने एवं लगातार कई वर्षो से कब्जा काश्त होने के आधार पर उन्हे
नियमानुसार आवंटन हुआ है। आवंटित भूमि रेलवे पटरी से बहुत दूर स्थित है तथा नियमानुसार दूरी
छोड कर स्थित होने से ही उक्त भूमि आवंटित हुयी है। विपक्षीगण को कब्जा सुपुर्दगी भी की गयी।
मौके पर कब्जे अनुसार ही नक्शा ट्रेस मे खसरा संख्या 1096 एवं 1097 की तरमीम की गयी। विपक्षी
संख्या 2 वर्तमान मे कुवैत मे निवासरत है उसे दोषी करार पाया जाने से विदेशी न्यायालय द्वारा वर्ष
2032 तक की सजा का कथन मनगढंत होकर अस्वीकार है। आवंटन फार्म पर विपक्षी संख्या 2 के
हस्ताक्षर विपक्षी संख्या 1 ने नही किये है, बल्कि स्वयं विपक्षी संख्या 2 के ही हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत
ओडा बडा के सरपंच हितेष डामोर तथा पटवार हल्का ओडा बडा की तत्कालिन पटवारी श्रीमती
जयकीर्ति दोनो अनुसूचित जन जाति के है तथा विपक्षीगण पटेल जाति के होकर अन्य पिछडा वर्ग के
है उनकी आपस मे कोई रिश्तेदारी नही प्रार्थी द्वारा बनावटी तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षीगण संख्या 3 के प्रस्तुत जवाब में वर्णित भूमि वर्तमान
में उक्त भूमि गैरखातेदार के रूप में प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। आवंटित भूमि में 0.0200 पर सी.
सी. सडक बनी हुई है, 0.0300 हैक्टर भूमि पडत है तथा शेष भूमि 0.1100 हैक्टर पर पेड नीम के 3,
कजडी के 04, रिजुवा के 08 पेड स्थित है। मौजा ओडा में जरिये मिसल नं. 223 फैसल दिनांक 19.
12.2021 आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त योग्य होना अंकित किया है।

उभयपक्षो की बहस समायत की गयी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में
अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राज्य एवं केंद्र सरकार के परिपत्र मे रेल्वे मार्ग से 500
मीटर दुरी के अंदर आने वाली भूमि के आवंटन का प्रावधान नही है। जबकि उक्त भूमि रेल्वे पटरी से
100 मीटर की दुरी पर होने से विपक्षीगणो ने विधि विरूद्ध आवंटन करवाया है। पटवारी रिपोर्ट मे
पटवारी द्वारा आवेदन अनुशंषा प्रपत्र क्रम सं. 20 मे आवंटित भूमि किसी अन्य के कब्जे काश्त मे हो

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

नही है कि इसकी गलत जानकारी देकर गलत होना कॉलम मे अंकित नही किया गया है। जबकि आज भी कब्जा प्रार्थी का ही बना हुआ है। विपक्षीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण को तहसीलदार द्वारा कई वर्षो तक तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटीस भी दिये गये थे। आवंटित भूमि रेलवे पटरी से बहुत दूर स्थित है तथा नियमानुसार दूरी छोड कर स्थित होने से ही उक्त भूमि आवंटित हुयी है। विपक्षीगण को कब्जा सुपुर्दगी भी की गयी। अतः प्रार्थी का आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

मैंरे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्ड एवं बहस पर मनन करने पर पाया की विपक्षीगण को मौजा ओडाबडा में मीसल नं. 1026 द्वारा खसरा संख्या 1096 रकबा 0.08 एवं खसरा संख्या 1097 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि का आवंटन किया गया था। तहसीलदार के प्रस्तुत जवाब अनुसारं वर्तमान में भूमि गैरखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड होने तथा भूमि का आवंटन निरस्त योग्य होना बताया है। प्राप्त पर्चा मौका में भी विपक्षीगण का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा हो यह तथ्य अंकित नही है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा ओडाबडा में विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को मिसल नं. 1026 दिनांक 01.11.2021 द्वारा खसरा नं. 1096 रकबा 0.08 हेक्टर एवं आराजी खसरा नं. 1097 रकबा 0.1600 हेक्टर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृर्षि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत निरस्त किया जाता है। पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)